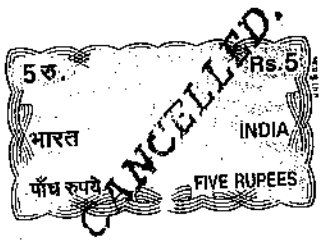

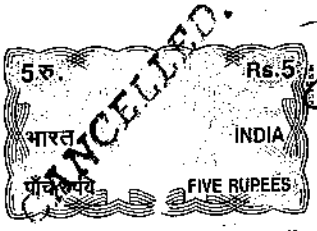

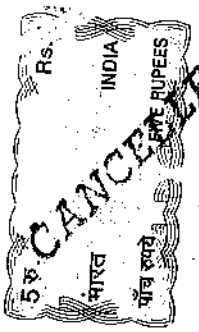

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर (म.प्र.)

जैराम वल्द स्व. माताबदल साहू,
निवासी - जवाहरगंज वार्ड, सागर,
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

----- **पुनरीक्षणकर्त्ता**

!! विरूद्ध !!

(1) राजेश मलैया वल्द राजकुमार मलैया,
(2) कपिल मलैया वल्द महेश कुमार मलैया,
दोनों निवासी - तिलकगंज वार्ड, स्टेशन रोड,
सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

----- **रेसपान्डेन्टगण**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. -

उपरोक्त नामांकित पुनरीक्षणकर्त्ता न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर के रा.प्र.क्र. 426 अ/70/14/15, पक्षकार जैराम विरूद्ध राजेश मलैया व अन्य में पारित आदेश दिनांक : 06-05-2015 से दुःखित होकर निम्नलिखित विधि एवं तथ्य के आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

(1) यहकि, निम्न न्यायालय का आदेश अवैध, असंगत व विधि-विरूद्ध है । अतः कानूनन स्थिर रहने योग्य नहीं है । इसलिये निरस्त किया जावे ।

(2) यहकि, निम्न न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया । निम्न न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्त्ता की मालकी का बैनामा नहीं देखा, वैध

/2/...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R.2526/I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
7-6-16	1– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी.जैन उपस्थित अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के तर्को पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर सभाग सागर के प्रकरण कमांक 426/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2015 के विरूद्धप्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि मौजा सिरोंजा स्थित भूमि खसरा कमांक 58/1, 52/1क, 52/1च, 52/1छ, 52/1ज में से 5 एकड भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14–08–1986 के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण भी स्वीकृत किया गया था। 4– आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त न्यायालय में उसके द्वारा अपनी अपील के साथ स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसको अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है तथा इस न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। 5– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं अभिलेख तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। प्रकरण वर्तमान में अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में लंबित है इस कारण से प्रकरण में गुण दोषों पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उभय पक्ष को आदेशित किया जाना है कि जब तक अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाता तब तक वह मौके पर यथास्थिति बनाए रखते हुए कब्जे में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	